बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(वेबसाइट–**https://bpssc.bihar.gov.in**)

परिवहन विभाग, बिहार सरकार में ''प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक'' के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–30.06.2025

विज्ञापन संख्या–03/2025

परिवहन विभाग, बिहार सरकार में ''प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक'' के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत हैः

क्र0सं0	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
1	**प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक**	पे–लेवल–6	33 (तैंतीस)

इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या–03/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक–30.05.2025 से प्रारंभ होगी।

2. उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

3. परिवहन विभाग, बिहार सरकार में प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधानः– (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक–23/नियुक्ति–01–39/2025, सा0प्र0–2253 दिनांक–06.02.2025 (ii) परिवहन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–07/स्था0–7033/90, परि0–437 दिनांक–16.01.2025 (iii) बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 एवं बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2018 (iv) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–963, दिनांक–20 जनवरी, 2016 एवं पत्र संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध

में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (vi) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या–1520, दिनांक–23 फरवरी 2019, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26 फरवरी 2019 एवं पत्र संख्या–12123 दिनांक–23.06.2023 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) (vii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या–2374 दिनांक–16.07.2007 (सरकारी कर्मियों को आयु सीमा में छुट से संबंधित) (viii) बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या–5374 दिनांक–02.04.2013 (भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित) (ix) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2026 (उम्र सीमा में देय छुट) (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या–11/आ0नी0–1–02/2014–सा0प्र0–12722, दिनांक–12 सितम्बर, 2014, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का ज्ञापांक–9556, दिनांक–19.06.2024, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या–483, दिनांक–25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या–11/आ0नी0–1–06/2024–सा0प्र0–5970, दिनांक–02.04.2025 (किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर से संबंधित) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. <u>आवेदन के लिए पात्रताः–</u>

4.1 **भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है। पुरूष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं।**

नोटः– थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या–483, दिनांक– 25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 की कंडिका–5 में निहित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम–4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रपत्र–3 में पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग अंकित होगा। तदनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा। थर्ड जेंडर अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार अपना पहचान पत्र तैयार रखें।

4.2 **अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताः–**दिनांक–**01.08.2025** तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए।

4.3 **उम्र सीमा की गणनाः–** उम्र सीमा की गणना दिनांक–**01.08.2025** के आधार पर की जायेगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक–01.08.2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

4.4 **अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक– 01.08.2025 को ''मैट्रिक अथवा समकक्ष'' प्रमाण–पत्र के अनुसार निम्नवत् होगीः–**

(1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।

(2) पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरूषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष।

नोटः– उपरोक्त बिंदु (1), (2) तथा (3) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक–01.08.2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना दिनांक–01.08.2020 को आधार मानकर की जाएगी।

(4) ''बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।

(5) असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट–ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4.5 **अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्डः–** लम्बाई और सीना के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(क) लम्बाई–

(1) पुरूषों के लिए– न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।

(2) महिलाओं के लिए– न्यूनतम 150 सेन्टीमीटर।

(ख) सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए)–

(1) पुरूषों के लिए–

बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर – 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

(2) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

(3) **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या–483, दिनांक–25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के

कंडिका–5 में वर्णित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम–4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रपत्र–3 में पहचान पत्र निर्गत करेगा जिसमें अंकित लिंग के अनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।

5. **नियुक्ति की प्रक्रियाः–**

लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।

टिप्पणी–शारीरिक जाँच केवल अर्हक प्रवृत्ति का होगा।

(क) **लिखित प्रतियोगिता परीक्षाः–**

(i) आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा–प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।

(ii) **प्रथम चरणः– प्रारम्भिक परीक्षा–** प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा। जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। **इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे।** प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जायेगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

(iii) **द्वितीय चरणः– मुख्य परीक्षा–** प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे।

(अ) प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं **न्यूनतम अहर्तांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।** सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ब) द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।

(iv) **दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।**

(v) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक जांच परीक्षा के लिए किया जायेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक जांच परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

(ख) **शारीरिक जाँचः–** मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जायेगा। बिहार परिवहन (प्रवर्त्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–15 के अनुसार शारीरिक जांच की जायेगी। शारीरिक जांच का मापदण्ड निम्नवत होगा–

(i) **पुरूषों के लिए–** 25 (पच्चीस) किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा–4 घंटे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे।

(ii) **महिलाओं के लिए–** 14 (चौदह) किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा–4 घंटे। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी।

नोटः– यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जायेगा।

(ग) **साक्षात्कार–** लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा जिसमें उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में प्रवर्त्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा।

साक्षात्कार का कुल अंक–30 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

6. **मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसाः–**

(i) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए ***अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी***। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म–तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म–तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे।

(ii) उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(iii) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत होगा।

(iv) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा क्रमानुसार नामों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

7. **<u>रिक्तिः</u>–** (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक–23/नियुक्ति–01–39/2025, सा0प्र0 2253 दिनांक–06.02.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार **''प्रवर्तन अवर निरीक्षक''** की 33 (तैंतीस) रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	**कोटि**	**कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या**	**इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या**
1.	अनारक्षित (01)	19	07
	अनुसूचित जाति (02)	00	00
	अनुसूचित जनजाति (03)	00	00
	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	02	00
	पिछड़ा वर्ग (05)	09	03
	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	00	00
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (07)	03	01
	कुल	33	11
2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2% आरक्षण के तहत पदों की कुल संख्याः–		कोई पद अनुमान्य नहीं।
3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 4% कुल पदों की संख्याः–		कोई पद अनुमान्य नहीं।

8. **<u>आरक्षण</u>ः–**

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) **<u>महिलाओं के लिए प्रावधानः–</u>**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग–अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा।

परंतु, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) ‘‘बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019’’ के प्रावधान लागू होंगे। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–2025 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण–पत्र अनुमान्य होगा।**

(iv) **<u>बिहार राज्य के किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए प्रावधानः–</u>** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)** को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या–12722, दिनांक–12 सितम्बर, 2014 के अनुसार **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)** व्यक्तियों को राज्य सरकार की ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) सेवाओं में पिछड़े वर्गो के मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या–483, दिनांक–25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र संख्या–5970, दिनांक–02.04.2025 के अनुसार **जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान पत्र के अनुसार लिंग का निर्धारण किया जायेगा।**

(v) आरक्षण का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन–पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

9. **कट ऑफ तिथिः–** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण–पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि–01.08.2025 निर्धारित की जाती है।

10. **नियुक्ति प्राधिकारः–**

परिवहन विभाग, बिहार सरकार में प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के पद हेतु ''नियुक्ति प्राधिकार'' राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना होंगे।

11. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन–** उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

12. लिखित परीक्षा एवं अन्य पात्रता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

13. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाः–** उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट– **https://bpssc.bihar.gov.in** के Transport Dept. Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन–पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन–पत्र समर्पित करने के बाद आवेदन–पत्र के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन–पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

14. बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एवं अनारक्षित वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला/पुरूष/थर्ड जेंडर हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 700/– (सात सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेन्डर वर्ग/कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 400/–(चार सौ) रूपये है।

15. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/रूपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) आदि प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/रूपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) आदि एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रॉन्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।

16. <u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश</u> :–

(i) ***ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें।*** *<u>यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।</u>*

(ii) **ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट <u>https://bpssc.bihar.gov.in</u> के Transport Dept. Tab पर जाकर Advt.No. 03/2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।**

(iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई0डी0 रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 अनिवार्य है।** यदि आपकी अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।

(iv) भर्त्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर/ई–मेल आई0डी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई–मेल आई0डी0 के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही

रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

(vii) आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(viii) **एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।**

(ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी जन्म–तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे। आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरेंगे। **प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**

(x) ***आवेदन–पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।***

(xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की **वेबसाइट state.bihar.gov.in** पर समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

(xii) **ऑनलाइन आवेदन पत्रः–**
ऑनलाइन आवेदन–पत्र दो भागों में भरा जायेगा–

(क) **ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई0डी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म–तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई–मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/e-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण – यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को 'Edit' (सुधार) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में

आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन–पत्र के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा– पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद **(i)** आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में एवं **(ii)** हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही) से अलग–अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन–पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन–पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन–पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई–मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/e-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से समर्पित (Submit) किए गये आवेदन–पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन–पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन–पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली–भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

(घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र को रद्द कर नया आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रियाः– यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन–पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

17. **महत्वपूर्ण निर्देश :–**

भरे गये ऑनलाइन आवेदन–पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की पावती (Acknowledgement) की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

18. **ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि :–**

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. **उम्मीदवारी रद्दीकरण–** आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती हैः

(i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।

(ii) आवेदक द्वारा विहित फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।

(iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना।

(iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।

(v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।

(vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।

(vii) आवेदन में जन्म–तिथि गलत अंकित करना।

(viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।

(ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे– विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट–ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।

(x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत एवं वैद्य प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।

(xi) प्रमाण–पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे–

(क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण–पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।

(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जॉंच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।

(xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।

(xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा अन्य पात्रता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।

(xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।

(xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्त्तों के विरूद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरूद्ध पाई जाए।

20. आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश–पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/e-mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई–मेल आई0डी0 सक्रिय/जारी रखें।

21. ऐसी विवाहित महिलाएँ जो शारीरिक जॉंच परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर शारीरिक जॉंच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

22. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, अन्य पात्रता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा– पारिवारिक, निजी, चिकित्सकीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/–
अध्यक्ष,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा–01–03/2025–423 **दिनांक–28.05.2025**

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

प्रतिलिपिः–1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

2. **राज्य परिवहन आयुक्त,** बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

ह0/–
अध्यक्ष,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना।